कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर जिला–रायपुर

–: कार्यालयीन आदेश :–

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 15 /01/2021

क्रमांक 07 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2021:– एतद द्वारा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक एफ 4–2/2001/1–3 दिनांक 06.09.2003 अनुसार छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, में निहित निर्देश एवं प्रावाधान अनुसार, सहपठित मान.उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा याचिका–WPS No 9778/2019–में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के अध्याधीन रहते हुये, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.06.2020 एवं पत्र क्र. एफ 4–1/2019/1–3 दिनांक 24.06.2020 के परिपालन में विभागीय पुर्नगठित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020, पुर्नसत्यापित बैठक दिनांक 18.11.2020, {छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, विशेषकर नियम–6 (1) से (15)}, को समिति की अनुशंसानुसार, अराजपत्रित–राज्य स्तरीय (कार्यपालिक), अनुरेखक को अस्थाई तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, सहायक मानचित्रकार के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन लेवल–6, 25300–80500 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

क्र	कर्मचारी का नाम	संवर्ग	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय	नवीन पदस्थापना कार्यालय
1	श्री अलख राम सेन	अपिव	लोस्वायां,उपखण्ड भाटापारा	मैके. खण्ड रायपुर
2	श्री किशोर गेडाम	अपिव	लोस्वायां, खण्ड बिलासपुर	लोस्वायां, खण्ड कोरबा
3	श्री आर.पी. लिमजे	अजजा	लोस्वायां, खण्ड जशपुर	लोस्वायांवि, मंडल, बिलासपुर
4	श्री बाबूलाल पटेल	अपिव	लोस्वायां, खण्ड रायगढ़	लोस्वायां, खण्ड रायगढ़
5	श्री बिसौहा राम पारकर	अपिव	लोस्वायांवि, मण्डल दुर्ग	लोस्वायां, खण्ड कबीरधाम
6	श्री एस. लक्ष्मीनारायण	सामान्य	मैके.खण्ड रायपुर	लोस्वायां, खण्ड रायपुर
7	श्री सेवक राम निषाद	अपिव	कार्या. प्रमुख अभियंता, लोस्वायांवि, नवा रायपुर	कार्या. मु.अ., लोस्वायांवि, परिक्षेत्र रायपुर

टीपः–

1. प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशो का परीक्षण संबंधित वर्ग के पदोन्नति समिति के अधिकारियों द्वारा किया गया है, एवं तद्नुसार पालन किया गया है।
2. पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा, पदोन्नति आदेश निरस्त माना जावेगा।
3. पदोन्नत अनुरेखक की पारस्परिक वरिष्ठता नियमानुसार फीडर केडर के अनुसार रहेगी।
4. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश के प्राप्ति की तिथि से 01 माह के भीतर देना होगा, इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जावेगा। विकल्प प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण नियमो के अंतर्गत कर दिया जावेगा।

–हस्ता–
(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ0क्र. 350 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2021 अटल नगर, दिनांक 14/01/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोस्वायांवि, (सिविल/वि.यां) मण्डल ..... की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोस्वायांवि, खण्ड/परि.खण्ड/वि.यां खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित श्री ....., अनुरेखक, कार्यालय ..... लोस्वायांवि, ... की ओर पालनार्थ प्रेषित।
5. कर्यालयीन आदेश।
6. मास्टर फाईल।

14.1.21

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर जिला–रायपुर

–: कार्यालयीन आदेश :–

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 14/01/2021

क्रमांक 11 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2021:– एतद द्वारा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक एफ 4–2/2001/1–3 दिनांक 06.09.2003 अनुसार छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, में निहित निर्देश एवं प्रावाधान अनुसार, सहपठित मान.उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा याचिका–WPS No 9778/2019–में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के अध्याधीन रहते हुये, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.06.2020 एवं पत्र क. एफ 4–1/2019/1–3 दिनांक 24.06.2020 के परिपालन में विभागीय पुर्नगठित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020, पुर्नसत्यापित बैठक दिनांक 18.11.2020, {छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, विशेषकर नियम–6 (1) से (15)}, को समिति की अनुंशसानुसार, अराजपत्रित–राज्य स्तरीय, शीघ्रलेखक को अस्थाई तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, निज सहायक के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन लेवल–10, 43200–136500 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

क	कर्मचारी का नाम	संवर्ग	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय	नवीन पदस्थापना कार्यालय
1	श्रीमती गौरी मुखर्जी	अनारक्षित	अधीक्षण अभियंता, मण्डल दुर्ग	कार्या. मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र, रायपुर

टीपः–

1. प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशो का परीक्षण संबंधित वर्ग के पदोन्नति समिति के अधिकारियों द्वारा किया गया है, एवं तद्नुसार पालन किया गया है।
2. पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा, पदोन्नति आदेश निरस्त माना जावेगा।
3. पदोन्नत शीघ्रलेखक की पारस्परिक वरिष्ठता नियमानुसार फीडर केडर के अनुसार रहेगी।
4. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश के प्राप्ति की तिथि से 01 माह के भीतर देना होगा, इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जावेगा। विकल्प प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण नियमो के अंतर्गत कर दिया जावेगा।

हस्ता–
(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ0क्र. 352 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2021 अटल नगर, दिनांक 14/01/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोस्वायांवि, (सिविल/वि.यां) मण्डल ..... की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोस्वायांवि, खण्ड/परि.खण्ड/वि.यां खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित श्रीमती गौरी मुखर्जी, शीघ्रलेखक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोस्वायांवि, मण्डल दुर्ग की ओर पालनार्थ प्रेषित।
5. कर्यालयीन आदेश।
6. मास्टर फाईल।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर जिला–रायपुर

–: कार्यालयीन आदेश :–

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 14/01/2021

क्रमांक 10 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2021:– एतद द्वारा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक एफ 4–2/2001/1–3 दिनांक 06.09.2003 अनुसार छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, में निहित निर्देश एवं प्रावाधान अनुसार, सहपठित मान.उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा याचिका–WPS No 9778/2019–में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के अध्याधीन रहते हुये, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.06.2020 एवं पत्र क. एफ 4–1/2019/1–3 दिनांक 24.06.2020 के परिपालन में विभागीय पुर्नगठित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020, पुर्नसत्यापित बैठक दिनांक 18.11.2020, {छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, विशेषकर नियम–6 (1) से (15)}, को समिति की अनुशंसानुसार, अराजपत्रित–राज्य स्तरीय, सहायक ग्रेड–3 को अस्थाई तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, सहायक ग्रेड–2 के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन लेवल–6, 25300–80500 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

क	कर्मचारी का नाम	संवर्ग	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय	नवीन पदस्थापना कार्यालय
1	श्री ए.के. पाल	सामान्य	कार्या. मु.अ., परिक्षेत्र बिलासपुर	कार्या. मु.अ., परिक्षेत्र बिलासपुर
2	श्री राजेश वर्मा	अपिव	कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर	कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर
3	श्रीमती विजया नायर	सामान्य	कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर	कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर
4	श्रीमती सावित्री पटेल	सामान्य	कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर	कार्या. मु.अ., परिक्षेत्र रायपुर
5	श्री दुलुचंद ठाकुर	अजजा	कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर	कार्या. मु.अ., परिक्षेत्र जगदलपुर
6	श्रीमती रूपावती	सामान्य	कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर	कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर

टीपः–

1. प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशो का परीक्षण संबंधित वर्ग के पदोन्नति समिति के अधिकारियों द्वारा किया गया है, एवं तद्नुसार पालन किया गया है।
2. पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा, पदोन्नति आदेश निरस्त माना जावेगा।
3. पदोन्नत सहायक ग्रेड–3 की पारस्परिक वरिष्ठता नियमानुसार फीडर केडर के अनुसार रहेगी।
4. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश के प्राप्ति की तिथि से 01 माह के भीतर देना होगा, इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जावेगा। विकल्प प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण नियमो के अंतर्गत कर दिया जावेगा।

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ0क्र. 351 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2021 अटल नगर, दिनांक 14/01/202

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोस्वायांवि, (सिविल/वि.यां) मण्डल ..... की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोस्वायांवि, खण्ड/परि.खण्ड/वि.यां खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित श्री ....., सहायक ग्रेड–3, कार्यालय ..... लोस्वायांवि, ... की ओर पालनार्थ प्रेषित।
5. कर्यालयीन आदेश।
6. मास्टर फाईल।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर